(b) and (c). At present it is only a pilot scheme covering selected crops in selected areas operated on a voluntary basis. Among the important considerations which are kept in view in making the selection are: the existence of certain infrastructural facilities; the availability of a reliable agency for providing in time the necessary inputs and services; arrangements for supervision of the agricultural operations done according to modern methods; and arrangements for proper assessment of yield. The G.I.C. has also decided to introduce pilot schemes in selected areas covered by Instentive Agricultural Development Projects sponsored by Government of India or the State Governments.

Pilot crop insurance schemes are already in operation in the States of Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu for cotton, and in Gujarat and Andhra Pradesh for groundnut. Two more schemes for cotton are expected to be taken up, one in Tamil Nadu during the next winter and another in Karnataka in Kharif 1975. The G.I.C. are in correspondence with some other State Governments also and more pilot schemes may be taken up as and when found feasible. In view of the financial implications involved, the G.I.C. can operate only a limited number of pilot schemes.

मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर पुलियों का निर्माण

1532. **श्री श्रीकृष्ण अग्रवाल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर कई स्थानों पर वर्षा का पानी जमा हो जाता है जिससे यातायात रुक जाता है।

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन स्थानों पर पुलियों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार को एक योजना भेजी है ;

(ग) यदि हां तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) इस योजना की स्वीकृति के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): (क) जी हां। भारी वर्षा और बाढ़ों के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 के कुछ भाग जलमग्न हो जाते हैं जिसके कारण यातायात अस्तव्यस्त हो जाता है।

(ख) से (घ) मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राज मे मार्गों के विकास के लिये चौथी योजना मे जहां सडक पानी मे बहुत देर तक जलमग्न रहती है वहां निमज्जक पुलों के स्थान पर उच्च-स्तरीय पुल के निर्माण के लिये 128 लाख रूपये की व्यवस्था की गई थी। योजना मे कुछ गहरे और निचले स्थानों पर पुलियो के निर्माणार्थ इकमुश्त व्यवस्था की गई थी। उन शेष भागो के सुधार, जहा सडक जलमग्न अधिक नही रहती और थोडी अवधि के लिये रहती है, की व्यवस्था चौथी योजना में नही थी। अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त कुल 41 लाख रुपये के कार्यों के अनुमानो की स्वीकृति दे दी गई है और धन के उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। शेष कार्यों के अनुमानो के बारे में राज्य सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है और वित्तीय स्थिति के अनुसार उन्हें मंजूर किया जायगा।